

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमडाघाना)

किरम मुकदमा

रागासिंह

बनाम

इजराय को.


इजराय

नं.

22

सन्

2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
20.09.2024	<p>वकील डिक्रीदार श्री सरदार सिंह चौधरी सड़क ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज राजस्व ही जावे। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2024 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (भविष्यक में किसी अन्य न्यायालय का स्वीकृत आदेश नहीं है तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वाले प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 16.10.2024 को पेश है।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमडाघाना)</p>	<p>गामा. 4 735/11.12.24</p> <p>च.ए. 414/25</p> 
27.02.2025	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में पटवार हल्का हाथीदेह के हाल पटवारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 735 दिनांक 11.12.2024 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल किय जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।</p> <p>(अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	